

रसीद दस्तावेज वर्ग रुह 54  
मुकाम

किस को- दी गई	दस्तावेज की तफसीलदारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाको लिया गया हो जिसके बावत कोस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इवारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखिल शुदा
1	2	3
क्र मूला भिला 195500	171	

तारीख 5 FEB 1955



डियूटी रुपये	१४,६६२-५०
(राज-वार) पचासत डियूटी रुपये	१,९५०-००
उपकर डियूटी रुपये	७३३-२५
अधिक स्टाम्प रुपये	४-२५
कुल स्टाम्प रुपये	१७,३५०-००

रुपये १,००,०००-००

अक्षरी रुपये एक लाख का चेक क्रमांक एस.बी./ए.एन.-

८०५९२३ दिनांक १५-२-९६ का स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर  
एण्ड जयपुर का विक्रेता पक्ष ने क्रेता पक्ष से प्राप्त कर लिये  
है।

कुल रुपये १,००,०००-०० अक्षरी रुपये एक लाख मात्र

लिखित २

विमला लालू



00AA 531024

॥श्री राम॥

## विक्रय-पत्र

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत

ग्राम मुसाखेड़ी, यहाँ पर पटवारी  
हल्का नं. २६ के खसरा नंबर  
३५७ पैकी कृषि भूमि बृहण

पुस्तिका क्रमांक ५९१२३१

व्यवहार मूल्य रुपये १,००,०००-००

बाजार मूल्य रुपये १,९५,५००-००

171/II/2448

10000 Sars 1000 Sars 1000 Sars 50 16350

15 FEB 1996

10000  
Sars

1955 00

प्राप्ति विवरण का सारांश  
करने वाली दस्तावेज़ का सारांश

महाराष्ट्र राज्य बैंड

दस्तावेज़ बैंड

जिला पंजियक कार्यालय

गोवा, गोवा, गोवा

20/1/1996

जीवन अधिनियम के अन्तर्गत मुद्राक शुल्क 14662-50  
तगर निगम विधिवाल के अन्तर्गत मुद्राक शुल्क ...  
रंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्राक शुल्क ...  
उपकर अधिनियम के अन्तर्गत मुद्राक शुल्क 1950-  
अतिरिक्त मुद्राक शुल्क  
वाचिक लघान


दोग

233 - 28


4-2-8-

17350

Gh



5000Rs.



11/2/1961

यह कृषिभूमि का विक्रय पत्र रुपये देकर लिखवा लेने वाले श्री ओमप्रकाश पिता श्री बाबुलाल जी अग्रबाल निवासी ४२ मनीषबाग कालोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश (जिन्होंने को इस लेख में आगे 'केता पक्ष' के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें वे स्वयं उनके उत्तराधिकारी, असाइनीज, निष्पादक आदि सम्मिलित हैं) इन्होंने से प्रतिक्रिया की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त करके यह कृषि भूमि का विक्रय पत्र लिख देने वाले (१) श्रीमती विमलादेवी पति श्री गिरद्वारीलाल जी खण्डेलवाल निवासी ४८, साजून नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश (२) श्री मनीष पिता श्री गोपालदास जी निवासी ९८ अग्रबाल नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश तरफे आम मुख्त्यार श्री संजय पिता श्री गोपालदास जी बिड़ला निवासी ९८ अग्रबाल नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश (जिन्होंने को इस लेख में आगे 'बिक्रेता पक्ष' के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें वे स्वयं उनके उत्तराधिकारी, असाइनीज, निष्पादक आदि सम्मिलित हैं) बिक्रेता पक्ष, आप केता पक्ष के हित में यह कृषि भूमि का विक्रय पत्र लिख देते हैं कि :-

(१) यह कि, मुझ बिक्रेता पक्ष के हारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक १५/७५(च)/१४ दिनांक ३-५-१९६५ के हारा श्री शिवद्वाराम एवं अन्य ६ से क्रय की हुई बिक्रेता पक्ष की एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की असिचित कृषिभूमि ग्राम मुसाखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर की यहां पर खसरा नं. ३५७ पैकी भूमि रक्का ०-१०७ हेक्टेयर या ११५०० वर्गफीट भूमि है, जिसका पटवारी हल्का नं. २६ की है, जिसकी लम्बाई ११५ फीट होकर इसकी चौड़ाई १०० फीट है।

अद्वितीय

171/2

15 FEB 1996

जिला कार्यालय  
.....

प्रथम नीति के हाथ  
लगाए गए हैं।

श्री मत्तु मुनि पाठी जनसभाका प्रहमून सामनोलिय

वह दूर उप-प्रशासक जिला इस्टर्न  
के उप-प्रशासक के कार्यालय में  
त 15.2.1996 को  
अ.प्र. ..... वजे  
इस्तुति किया गया है।

दृष्टि वैनिड्य,  
जिला प्र. यक्ष कायलिय,  
पोनी नवला इन्दौर

उप-प्रशासक, हन्दार (प.स.)

प्रियमत्तु मुनि

श्री मत्तु मुनि पाठी जनसभाका  
नियमित बृहत्

१ - श्री मत्तु मुनि जनसभा  
प्रियमत्तु मुनि बृहत्


उन्हें मेरे व्यक्तिगत रूप से जानना  
स्वीकार करते हैं कि तथाकथित

विकास का नियन्त्रण  
किया जाना चाहिए और प्रतिपादित  
पूरोऽनामिति अनुसार इसका नियन्त्रण

तथा इसका नियन्त्रण करना चाहिए।

मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और  
प्रतिफल की बकाया रकम : ह

1000Rs.



// ३ //

सदर भूमि पर विकेता पक्ष का एक मात्र स्वामित्व एवम् आधिपत्य है तथा विकेता क्रमांक २ श्री मनीष पिता श्री गोपालदास ने मुझ निष्पादक श्री संजय पिता गोपालदास जी बिड़ला को उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर में पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक ४अ/१७/१५ दिनांक २५-४-१९४५ के द्वारा आम मुख्त्यार नियुक्त किया है वह आज भी प्रभावशील होकर सदर सम्पूर्ण भूमि को बिक्री करने का विकेता पक्ष को पूर्ण अधिकार है। सदर भूमि मय मालकी हक्क सहित विकेता पक्ष ने आप क्रेतापक्ष को कीमत रुपये १,००,०००-०० अक्षरी रुपये एक लाख मात्र में बिक्री की है तथा सम्पूर्ण प्रतिफल उपरोक्त मुजब प्राप्त कर लिया है अब प्रतिफल का कुछ भी लेना शेष रहा नहीं है। बिक्री की जा रही कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक

खसरा नं.

रकबा देवटेयर

१

३५७ पैकी

०-१०७

कुल

०-१०९

अविरत ... ४

17/113

15 FEB 1996

प्रथम प्रेस के राज  
संतुष्ट है।

- ① द्वितीय कुप्रिया जी पाल कुमार  
1800-3-97
- ② द्वितीय कुप्रिया नन्दगिरी  
1800-3-97

जिला कार्यालय, कु  
15 FEB  
1996

महमूद खास बेलिम  
टाइप वैडर,  
जिला पंजियक कार्यालय  
मोती बवेला इन्दौर

की पांच पूरांक निष्पादक/अभियंता

के लिए उपर्युक्त कार्यालय में की गई आज

दाराय 15 FEB 1996

उपर्युक्त इन्दौर (म.स.)

नियोगी 113

कृपयाकर निष्पादक/अभियंता

के लिए

का नियोग सम्भव कर

199 को लिया गया।

उपर्युक्त इन्दौर (म.स.)

15 FEB 1996

M. S. K. S.  
15/113



11 ४ 11

सदर भूमि की चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	- खसरा नंबर ३५७ में जाने के लिये २५ फीट की सड़क
पश्चिम में	- रामेश्वर चौबरी की भूमि
उत्तर में	- खसरा नंबर ३५७ की शेष भूमि
दक्षिण में	- खसरा नंबर ३५६/१ से लगी हुई भूमि

(2) यह कि, ऊपर लिखे विवरण व चतुर्सीमा के मध्य की कृषि भूमि सब आगे से पीछे तक मध्य जमीन के मालकी हक्क सहित हम विक्रेतागण ने आप केता को कीमत रुपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख मात्र में विक्रय कर दी है व कीमत के छुकते रुपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख मात्र में विक्रेता पक्ष ने आप केता पक्ष से ऊपर लिखे मुजब लेकर भैरपोये है। अब शेष लेना कुछ भी विक्रेता को केता की तरफ इस विक्रय पत्र बाबद रहा नहीं है। सदर कृषि भूमि का रिक्त कब्जा आपको आज दिनांक को दे दिया है।

(3) यह कि, इस बिक्री की हुई कृषि भूमि को संलग्न नक्शे में लाल रंग से रेखांकित किया बताया गया है। यह नक्शा इस विक्रय पत्र का एक भाग रहेगा तथा इस कृषि भूमि की संक्षिप्तता हेतु "सदर संपत्ति" शब्द से संबोधित किया गया है।

अविरत ... ९

17/11/4

जिला कार्यालय  
लखनऊ

महाराज बस्ती  
स्टार्चर लैड

जिला एवं धरक कार्यालय  
बोटी डेवला, इलाह

HBI

दूसरोंका निष्पादक/प्राप्ति अनुकूल  
के अंगूठा

जा. निष्पादक समिति

199 को लिया गया।

नप-पंजीयक हस्ताक्षर (म.क्ष)

15 फेब्रुअरी 1984

019/6

१८

१८



11 ९ 11

(४) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता को बिक्री कर देने से इसके मालिकी के जो-जो हक्क विक्रेतागण को थे, वह सब हक्क रद्द होकर आप क्रेता पक्ष को इस विक्रय पत्र के द्वारा उक्त संपत्ति के मालिकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गए हैं। अब क्रेता पक्ष ने इस संपत्ति पर अपनी मालिकी करके उसका उपयोग व उपभोग आपने अपनी इच्छानुसार हमेशा लेते जाना, इसमें विक्रेता व उनके उत्तराधिकारी की किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

(५) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता के सिवाय जगह गिरवी या बिक्री की हुई नहीं है और न कोई को दान या बक्षिस में दी है। और न ही इस प्रकार का अनुबंध ही किसी के साथ किया है। सदर संपत्ति पर किसी का डिक्री, चार्ज, मेंटनेन्स कर्ज का या जमानत का तथा अन्य किसी भी प्रकार का हक्क संबंध या बोझा नहीं है। सदर संपत्ति हर प्रकार के भार व बोझ से मुक्त है। सदर संपत्ति विक्रेता के मालिकी की होकर यह संपत्ति बिक्री करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार है।

(६) यह कि, भविष्य में उक्त-संपत्ति के मालिकी बाबद कोई भी वारिस या हक्कदार खड़ा होकर क्रेता से किसी भी प्रकार का दावा, झगड़ा करेगा या क्रेता के कब्जे में किसी भी प्रकार की आपत्ति लावेगा तो उसका निराकरण विक्रेतागण अपने स्वयं के खर्च से करेंगे, क्रेता को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी लगाने देवेंगे नहीं।



11 ६ 11

(७) यह कि, विक्रेतागण व केता भू-राजस्व सहिता १९५९ एवं म.प्र. कृषि जोत अधिनियम १९७२ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है व कृषि कार्य होने से सदर भूमि पर शाही सीमा अधिनियम १९७६ के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं सदर भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण की किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।

(८) यह कि, सदर संपत्ति की सरकारी तोड़ी रजिस्ट्री दिनांक तक विक्रेतागण देवेगे व रजिस्ट्री दिनांक के पश्चात आप केता पक्ष ने देते जाना और केता ने सदर संपत्ति पर अपना नामांतरण तहसील कार्यालय एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में दाखिल करवा लेना। नामांतरण का समर्त सर्च केता पक्ष द्वारा ही वहन किया जावेगा। नामांतरण होने में विक्रेतागण के सही की बयान की जो भी मदद होगी वह विक्रेता पक्ष, केता पक्ष को अवश्य देवेगे।

(९) यह कि, विक्रेतागण यह भी घोषित एवं निश्चित करते हैं कि उक्त भूमि किसी भी प्रकार की शासकीय, अशासकीय योजना आदि में समाविष्ट नहीं है तथा न ही यह भूमि किसी भी प्रकार के अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित है इस भूमि के अधिग्रहण बाबद विक्रेता पक्ष को आज दिनांक तक कोई भी सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अविरत... ७

*[Signature]*

100 Rs.



11-9-11

(४०) यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये वर्तमान में किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायिक विवाद आदि लम्बित नहीं है और न ही उक्त सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का हक्क अधिकार स्वतंत्र आदि है उक्त सम्पत्ति समस्त प्रकार के भार, बोझ व अन्तरण आदि से मुक्त है।


(४१) यह कि सदर संपत्ति के मालिकी जाबद विक्रेता पक्ष के नाम का असल विक्रय पत्र क्रमांक १५/७५(घ)/१४ की प्रतिलिपि विक्रेता पक्ष ने क्रेता पक्ष को दे दिये है।

(४२) यह कि, सदर सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन का सम्पूर्ण खर्च जैसे स्टॉम्प, पंजीयन फीस एवं वकील फीस क्रेता पक्ष ने वहन की है।

अविरत.....

A C

100



11 6 11

यह कृषि भूमि का विक्रय पत्र विकेता पक्ष ने आप केता पक्ष के हित में  
अपनी राजी खुशी से बिना मादक द्रव्य सेवन किये, सम्पूर्ण प्रतिफल लेकर आदि से अन्त  
तक पढ़कर, समझकर, अपने पूर्ण विवेक में रहते हुए साक्षीगणों के समक्ष हस्ताक्षर किये  
ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

इति, इंदौर  
दिनांक १५१२१९६

साक्षीगण:-

१. रामलीलानाम ईवेन्ट लिल्डल/  
पता गोदावरी राज्य२. मानसुखीपता १०२ R.M.T. Marg, New  
नाम हेमा उत्तानन्दिश्वर  
२९ नं. ००९१०

हस्ताक्षर-विकेता

१. विमला जाई  
२. विमला

उभय पक्षों द्वारा प्रदत्त माहिती अनुसार  
विक्रय पत्र मैने मेरे कार्यालय में तैयार किया है।

Vijay Shankar Pande

विजय शंकर पांडे एड्स्कोकेट

१०५ माहत्मा चेन्नई २६/१मोती तबेला, इंदौर म०प्र०

17/67

15 FEB 1970

प्रथम चैन के साथ

मेरा जीवन विलम  
दुष्टकान देहट

वित्ताविधिक का  
बोर्ड बोर्ड, इन्डी



17148

15 FEB 1996

प्रथम पेज के साथ  
लिखा है।



मेरी बोलियाँ  
राम्य द्वैत

जिता पंजियक का  
सोती लबेला है।

PLAN of Khasra no

357 Part village  
MUSA Khedi

dist Jorole



प्रभाली विधि

H.B.U.

15 FEB 1996

16/91 के १० पृष्ठ  
क्रमांक  
दस्तावेज़ दिया गया। ५०९३(०५)

